कार्यालयः जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़

पत्रांकः 1472–78 /2021–22 दिनांकः 19.5.2021

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक,
समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय
जनपद अलीगढ़

विषयः **प्रदेश में कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांकःमा0शि0प0/शोध/11/01 दिनांक 18.5.2021, जो प्रदेश में कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त पत्र में शासन के आदेशानुसार ऑन लाइन पठन–पाठन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त उक्त पत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको आपको निर्देशित किया जाता है कि आप परिषद के पत्र में दिये आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये, ससमय ऑनलाइन पठन–पाठन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य का होगा।

संलग्नक– उक्तवत्

जिला विद्यालय निरीक्षक
अलीगढ़

पृष्ठांकन संख्या व तिथि यथोपरि

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़
2. शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0, लखनऊ
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
5. समस्त ब्लॉक नोडल अधिकारी, समस्त तहसील प्रभारी तथा समस्त सुपर नोडल व नोडल अधिकारी (ई–ज्ञान गंगा), अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित है कि आपको पूर्व से आवंटित विद्यालयों के प्रधानाचार्यो उक्त आदेशों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
6. सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि आप उक्त सूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

जिला विद्यालय निरीक्षक
अलीगढ़

प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/शोध/11/01 दिनांकः 18 मई, 2021

विषय– **प्रदेश में कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑन–लाइन पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ज्ञातव्य है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों में समस्त शैक्षणिक संस्थान बन्द होने के कारण माध्यमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियां/पठन–पाठन प्रभावित न हो इस हेतु ई–लर्निंग/डिजिटल/व्हाट्सएप माध्यमों से माध्यमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सम्यक पठन–पाठन हेतु शासनादेश संख्या– 10/2021/1038/15–7–2021–1(20)/2020, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 18 मई 2021 द्वारा विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये हैं।

शासनादेशानुसार सम्प्रति कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही लगातार कमी के दृष्टिगत छात्रहित एवं शैक्षणिक सत्र को नियमित किये जाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संचालित प्रदेश में कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र की में व्हाट्सएप के माध्यम से पठन–पाठन किये जाने के संबधं में निम्नानुसार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा निम्नानुसार की जायेगीः–

शिक्षण व्यवस्था

1– प्रदेश में संचालित कक्षा–9 से कक्षा–12 तक के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक 20 मई 2021 से ऑनलाइन पठन–पाठन प्रारम्भ किया जाय।

2– विद्यालय प्रबन्धन/प्रधानाचार्य द्वारा ऑनलाइन पठन–पाठन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाय जिससे कि अधिक से अधिक शैक्षणिक कार्यो को work from home द्वारा किया जा सके।

3– माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित विद्यालयों में दूरदर्शन माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ई–ज्ञान गंगा, यू–ट्यूब चैनल तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित स्वयंप्रभा चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पठन–पाठन की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाय।

4– प्रत्येक जनपद में जिला विद्यालय निरीक्षक, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संचालित समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए।

5– प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा समस्त अध्यापकों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए।

Scanned with CamScanner

6– प्रत्येक विद्यालय के समस्त अध्यापकों एवं छात्रों के युक्ति–युक्त के कक्षावार एवं विषयवार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जांए।

7– व्यापक छात्र हित, छात्रों के लिए शिक्षण कार्य के यथासंभव सुचारु व्यवस्थापन एवं शिक्षकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये तथा संक्रमण की गति को विराम देने के लिए विद्यालयों द्वारा/शिक्षकों द्वारा वर्क फ्राम होम प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन पठन–पाठन का कार्य अधिक से अधिक मात्रा में कराया जाए।

8– विद्यालयों द्वारा ऐसी व्यवस्था विकसित की जाय ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन अध्यापकों के द्वारा अपने घर से ही कराया जाए, केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही न्यूनतम संख्या में ही अध्यापकों को विद्यालय में बुलाया जा सकता है। यह निर्देश प्रदेश के समस्त विद्यालयों पर लागू होगा।

उक्त के साथ ही निम्नांकित व्यवस्थायें भी सुनिश्चित करायी जांयः–

- व्हाट्सएप के साथ ही साथ अध्यापकगण सुविधानुसार जूम एप, माइक्रोसाफ्ट टीम, एवं स्काइप आदि के माध्यम से छात्रा/छात्राओं का ग्रुप बनाकर उन्हे आडियो/वीडियो/पी0डी0एफ0 के माध्यम से शिक्षण सामग्री/एसाइनमेन्ट्स उपलब्ध करायेंगे तथा समय–समय पर छात्रा/छात्राओं का पृथक–पृथक मूल्यांकन करेंगे।
- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभागीय यू–ट्यूब चैनल पर विषय विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य सामग्री के अनुसार अध्यायवार तैयार करा कर अपलोड कराये गये विडीयोज़ के लिंक को अध्यापकगण अपने छात्रा/छात्राओं को उपलब्ध करायेंगे। जिससे जिन छात्र/छात्राओं का दूरदर्शन एवं चैनल पर कतिपय कारणों से व्याख्यान देखने से छूट गया हो गया हो तो वे अपनी सुविधानुसार उस व्याख्यान को इस विभागीय यू–ट्यूब चैनल से देख एवं डाउनलोड कर सकते हैं।
- शिक्षण सामग्रियों के विविध प्लेटफार्म्स यथा– दीक्षा पोर्टल, ई0पाठशाला आदि का अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु छात्र/छात्राओं को प्रेरित किया जायेगा।
- एन0सी0ई0आर0टी0 पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की समस्त पुस्तकों को आवश्यकतानुसार ई0 बुक्स फार्मेट में डाउनलोड कर उनका अध्ययन करने हेतु एन0सी0ई0आर0टी0 की ई0बुक्स का लिंक छात्रा/छात्राओं को उपलब्ध कराया जायेगा।
- विद्यार्थियों के आनलाइन पठन–पाठन के लिए अवशेष पाठ्यक्रमों की जनपदस्तर पर कक्षावार एवं विषयवार समय–सारिणी बनायी जाय। यह समय सारिणी जनपद के समस्त विद्यालयों पर अनिवार्य एवं प्रभावी रूप से लागू हो।
- पठन पाठन सप्ताह में पांच दिन(सोमवार से शुक्रवार) कक्षावार/विषयवार किया जायेगा। प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप/फोन द्वारा किया जाय।
- विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान हेतु विद्यालय स्तर पर विषयवार शिक्षकों की हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाय।

Scanned with CamScanner

- ऐसे विद्यार्थी जिनके पास टेलीविजन तथा ऑनलाइन शिक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिये पत्राचार एवं सतत शिक्षा संस्थान उ0प्र0 के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा से सम्बन्धित पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जाय।
- आनलाइन क्लासेस में अध्यापकों के द्वारा पढ़ायी गयी विषय वस्तु पर छात्र–छात्राओं से उसके विवरण के साथ उनकी शैक्षणिक समस्याओं को ऑनलाइन ग्रुप में मंगाया जाय तथा उसका मूल्यांकन कर सम्बन्धित छात्र–छात्राओं की विषय सम्बन्धी शैक्षणिक समस्याओं को दूर किया जाय।
- कक्षा–10 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक वीडियोज के प्रसारण की व्यवस्था दूरदर्शन (डी0डी0 यू0पी0) पर हैं। **डी0डी0 यू0पी0**– डी0डी0 फ्री डिश–45, डेन–137, नेटविजन–138, डिश टी0वी0–229, लखनऊ 9–237, बिग टी0वी0–250, एयरटेल–400,हैथवे–400, सिटी केबल–671, वीडियोकॉन डी2एच–889, टाटास्काई–1195 चैनलों पर उपलब्ध है।

  कक्षा–09 के विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक वीडियोज के प्रसारण की व्यवस्था ई0विद्या–09 पर हैं। **ई0विद्या–09**– जियो टी0वी0 एप, डिश टी0वी0 चैनल–950, वीडियोकॉन चैनल–447, एयरटेल चैनल–440, फ्री डिश–128 तथा टाटा स्काई चैनल–756 पर उपलब्ध है।

  कक्षा–11 के विद्यार्थियों के लिये शैक्षणिक वीडियोज के प्रसारण की व्यवस्था ई0विद्या–11 पर हैं। **ई0विद्या–11**– जियो टी0वी0 एप, डिश टी0वी0–952 तथा एन0सी0ई0आर0टी0 ऑफिशियल यू–ट्यूब पर उपलब्ध है।

  उपर्युक्त शैक्षणिक वीडियोज के प्रसारण के सम्बन्ध में एवं उनको देखकर उनका सम्यक अनुशीलन करने के सम्बन्ध में समस्त छात्र/छात्राओं को एवं अध्यापकों सतत उत्प्रेरित किया जाय।
- प्रतिदिन पढ़ाए जाने वाले टॉपिक पर अन्त में 5–10 मिनट छात्र/छात्राओं से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछकर फीड बैक प्राप्त किया जाय।
- शिक्षकगण अपनी ओर से 20–25 मिनट के शैक्षिक वीडियो भी बना कर ग्रुप में डाल सकते हैं।
- वाट्सएप ग्रुप पर जो बच्चे ठीक ढंग से रूचि न ले रहे हों, संस्था प्रधानाचार्य व कक्षाध्यापक उनसे से सम्पर्क कर, दूरभाष पर बातकर उनकी काउन्सिलिंग करें।
- विद्यालयों में विषयवार/कक्षावार हेल्पलाइन जारी की जाय जिसका समय निर्धारित हो। जनपद स्तर पर भी एक कक्षावार/विषयवार हेल्पलाइन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद मुख्यालय स्थित राजकीय इ0का0/राजकीय बालिका इ0का0 में बनायी जाय जिसमें योग्य विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाय जिस पर सम्पर्क करके छात्र–छात्राएँ अपनी विषय सम्बन्धी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें।

<u>मूल्यॉकन व्यवस्था</u>

- दूरदर्शन उ0प्र0 एवं ई0विद्या–09 एवं ई0विद्या–11 पर प्रत्येक माह के अन्त में मूल्यांकन हेतु प्रसारित किये प्रश्नों को विद्यार्थीगण हल करके उनके उत्तर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने कक्षा अध्यापक को भेजेंगे।

Scanned with CamScanner

- जो विद्यार्थी व्हाट्सएप के माध्यम से अपने उत्तर प्रेषित नहीं कर सकते उनके लिये विद्यालय में कक्षावार ड्रापबाक्स की व्यवस्था की जाय। विद्यार्थीगण अपनी आन्सर शीट पर अपनी कक्षा, विषय, अपना नाम, अनुक्रमांक एवं फोन नम्बर आदि लिखकर उसे विद्यालय में रखे ड्रापबाक्स में माह के प्रथम एक सप्ताह के अन्दर डाल देंगे। सम्बन्धित विषय अध्यापक का यह दायित्व होगा कि वह इनका सम्यक मूल्यांकन करके छात्र/छात्राओं को उसी ड्रापबाक्स (यद्यपि उचित होगा कि मूल्यांकित आन्सर शीट को पृथक से एक दूसरे ड्रापबाक्स में रखने की व्यवस्था की जाय) के माध्यम से अगले तीन दिनों के अन्दर उनकी आन्सर शीट को जांच कर उपलब्ध करा दे। इसके साथ ही साथ छात्र के मूल्यांकन हेतु अन्य जो भी सुझाव होंगे वो भी उस आन्सर शीट पर अंकित करेंगे। इसके अतिरिक्त अध्यापकगण छात्र/छात्राओं की सुविधानुसार व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से भी सम्बन्धित छात्र/छात्रा को उनकी जांची हुयी आन्सर शीट उपलब्ध करा सकते हैं।
- पाठ्यक्रम का वह भाग जो प्रोजेक्ट वर्क/एसाइनमेन्ट से सम्बन्धित है का मूल्यांकन पृथक से व्हाट्सएप/ ड्रापबाक्स के माध्यम से किया जायेगा।
- मूल्यांकन कार्य हेतु छोटे–छोटे प्रश्न बनाकर वाट्सएप के माध्यम से उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं तथा अलग–अलग बच्चों का उत्तर देखकर कक्षावार परीक्षाफल निर्गत कर कम अंक पाने वाले बच्चों से बात कर आनलाइन शिक्षा में पूर्ण मनोयोग से प्रतिभाग करने हेतु उन्हें अलग प्रेरित किया जाय।
- विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु अभिभावकों और शिक्षकों की पाक्षिक ऑनलाइन मीटिंग आयोजित की जानी चाहिये।
- शिक्षकों को प्रत्येक माह 10 से 20 अंक की ऑनलाइन परीक्षा लेनी चाहिये और इस प्रक्रिया में अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जाय। जिससे अभिभावकों के सामने ही छात्र–छात्रायें परीक्षा में सम्मिलित हों।
- छात्रों को अभ्यास कार्य दिया जाए तथा अभ्यास कार्य को ग्रुप में लिखित रूप में मंगाया जाए।
- पूर्ण/अपूर्ण कार्य करने वाले छात्रों को सूचीबद्ध किया जाय तथा अपूर्ण कार्य करने वाले छात्रों के अभिभावकों से दूरभाष पर सम्पर्क किया जाय।

<u>मॉनिटरिंग व्यवस्था</u>

- पठन पाठन की मॉनिटरिंग हेतु प्रत्येक 10 विद्यालय पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय।
- प्रत्येक नोडल अधिकारी आवंटित विद्यालयों के विद्यार्थियों के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पठन पाठन का सम्यक अनुश्रवण करेगा तथा प्रति सप्ताह उसकी समीक्षात्मक रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। नोडल अधिकारियों की रिपोर्ट्स के संकलन

Scanned with CamScanner

हेतु प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अपने अपने जनपद में कन्ट्रोल रुम स्थापित किया जायेगा।

- जनपद में ऑनलाइन पठन–पाठन की सम्पूर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित कराने का उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा। संबंधित मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा ऑनलाइन पठन–पाठन की व्यवस्था की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी।
- जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों द्वारा उक्त आनलाइन शिक्षण व्यवस्था का सतत् रूप से अनुश्रवण किया जाये तथा अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन एक विद्यालय का निरीक्षण करते हुये उस विद्यालय में संचालित ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में उसकी विधिवत मॉनिटरिंग हेतु स्वयं को भी उसमें जोड़ा जाय।
- ऑनलाइन पठन–पाठन की व्यवस्था से सम्बन्धित साप्ताहिक रिपोर्ट जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक को एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को प्रेषित की जायेगी।

यदि किसी शिक्षक को कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड से सम्बन्धित कोई समस्या या कोई अन्य औचित्यपूर्ण कठिनाई हो, तो उसके द्वारा प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाय। प्रधानाचार्य/सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस इस सम्बन्ध में नियमानुसार निर्णय लिया जाय तथा इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जाय तथा ऐसे शिक्षक को ऑनलाइन पठन–पाठन हेतु बाध्य न किया जाय।

यदि कोई विद्यार्थी या उसके परिवार को कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड से सम्बन्धित कोई समस्या हो तो उन्हें ऑनालाइन पठन–पाठन के लिये बाध्य न किया जाय।

कोविड के दृष्टिगत छात्रों को पठन–पाठन का कार्य अवरुद्ध न हो इस लिए ई–लर्निंग/डिजिटल माध्यमों/व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यालयों में पठन–पाठन प्रारम्भ किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। **अतः उक्त के आलोक में शासनादेश दिनांक 18 मई 2021 का पूर्णरुपेण अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये माध्यमिक विद्यालयों में ई–लर्निंग/डिजिटल माध्यमों/व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें** तथा समय–समय पर स्थिति से शासन को एवं अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराते रहें।

आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

Scanned with CamScanner

पृ0सं0:मा0शि0प0/शोध/11/01 – 06 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।,
2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3– अपर शिक्षा निदेशक(माध्यमिक/राजकीय), उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
4– अपर परियोजना निदेशक, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ।
5– सचिव, संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0, शाहगीना रोड, लखनऊ।
6– अपर शिक्षा निदेशक पत्राचार एवं सतत शिक्षा संस्थान उ0प्र0, प्रयागराज।

(दिब्यकान्त शुक्ल)
सचिव।

Scanned with CamScanner